



Har Ghar Jal
Jeevan Mission

जल जीवन मिशन हर घर जल

ग्राम कार्य योजना (वी०ए०पी०)



Har Ghar Jal
Jeevan Mission

ग्राम कार्य योजना (वी०ए०पी०)

ठानुमत्तम-४ व

जल सम्बन्धी इन सभी मतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की "जीवन सुगमता" की बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् दी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तारीख १५-१२-३७

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख १५-१२-३७

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख

2. ग्राम का नाम इमारु लुटारी

ग्राम पंचायत का नाम इमारु लुटारी

स्थानीक का नाम भाग भूमि

जिला का नाम उत्तराखण्ड

राज्य का नाम उत्तर प्रदेश

ग्राम जनगणना कोड ११०६५७

(यदि लागू हो तो बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

1. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकृति २५ (संख्या) मध्ये कुछो को और ७ (संख्या) कमङे घोने / स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् ८०३४ घन्टे निर्धारित गुणवत्ता वाले ५५ एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति धर्म २०२५ तक ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना।

हम ग्राम समुदाय के लोग अपनी अलग ग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्य प्रबंधन प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उनके संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का १०% प्रबंधन और रख-रखाव लागत के परिणामित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् दी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति, प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी

(ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति) ७८ प्रबंधन समिति समिति को दिया जाता है।

अध्यक्ष का नाम अमित

लिंग पुरुष

आयु ५०

सदस्य का नाम	लिंग	आयु
दिना	मह	२१
जालियर	पुरुष	३२
मारिला	मह	५७
बिलाव	पुरुष	३१



ग्राम पंचायत - समन्वय तुलना
विभाग - ग्राम १० - १०

III सामान्य विवरण

अनुबन्ध-X प

6.	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या.....	वर्तमान पंचायत / आगनवाड़ी रिकॉर्ड के अनुसार वर्तमान जनसंख्या.....
	परिवारों की संख्या.....	परिवारों की संख्या.....
	महिलाओं की संख्या.....	महिलाओं की संख्या.....
	पुरुषों की संख्या.....	पुरुषों की संख्या.....
	बच्चों की संख्या.....	बच्चों की संख्या.....
	एफ.एच.टी.सी. की संख्या.....	एफ.एच.टी.सी. की संख्या.....

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण—वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान में 18% वृद्धि)..... किलोमीटर / दिन (के.एल.डी.) अन्तिम

चरण—वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि)..... किलोमीटर / दिन(के.एल.डी.)

8. वर्तमान मवेषी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड)..... 1031

9. कृषि फसल पैटर्न..... १०९०
प्रमुख फसलें खरीफ रबी

गन्ना

ज्ञान

मक्का

कपास

गेहूँ

अन्य

10. औसत जिला वर्षा (मि.भी. ने)..... ५० MM

11. स्थलाकृति (समतल, ढलान आदि)..... समतल

IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानविक्रण किया गया है? (हाँ / नहीं)

(ग्राम कार्य योजना के साथ मानविक्रण संलग्न करें)

13. क्या सामाजिक मानविक्रण किया गया है? (हाँ / नहीं)

(ग्राम कार्य योजना के साथ मानविक्रण संलग्न करें)

14.

क्र०सं०	सार्वजनिक संस्था का नाम	क्या एफ.एच.टी. श्रीत उपलब्ध है?	क्या यथा जल संधारन संचरना उपलब्ध है?	सोखा गढ़ों की उपलब्धता है?
1.	स्कूल	✓	✓	✓
2.	आगनवाड़ी	✓	✗	✓
3.	स्वास्थ्य केन्द्र	✓	✓	✓
4.	ग्राम पंचायत भवन	✓	✗	✓
5.	अन्य	✓	✗	✓



ग्राम पंचायत
प्रधान

ग्राम पंचायत उपायी
प्रधान

पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता जनसंख्या X दर के एल.डी.

मधेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता के एल.डी.

मधेशी कुंडों की आवश्यक संख्या.....

मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता जनसंख्या X दर के एल.डी.

अन्तिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता जनसंख्या X (दर के एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गांव में पानी की आपूर्ति / उपलब्धता का इतिवृत्त सूखा / अकाल / घट्यात / बाढ़ या किसी अन्य

प्राकृतिक आपदा का पैटर्न पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति:

17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियों, रेल गाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति

18. पानी की आपूर्ति से सम्बन्धित आंशिक कार्य स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त

19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त

पानी की गुणवत्ता

20. फील्ड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए

अभिनिर्धारित तारीखें १५ - १८ - २३

21. सैनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख १५ - १८ - २७

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मीजूदा / प्रसावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की

गुणवत्ता

स्रोत का नाम (अवस्थिति)

परिणाम

मापदंड	तरीका	परिणाम
गंदगी	दृष्ट तुलना	6.00
पीएच	पट्टी रंग तुलना	7.20
पूर्ण लवणता	टिट्रीमेट्रिक विधि	165
पूर्ण क्षारीयता	टिट्रीमेट्रिक विधि	140
क्लोराइट	टिट्रीमेट्रिक विधि	40
अमोनिया	दृष्ट रंग तुलना	X
फास्फेट	दृष्ट रंग तुलना	X
अवाशिष्ट क्लोरीन	दृष्ट रंग तुलना	0.0
आयरन	दृष्ट रंग तुलना	0.30
नाइट्रेट	दृष्ट रंग तुलना	0.0
फ्लोराइट	दृष्ट रंग तुलना	6.0
आसेनिक (हॉटस्पॉट में)	दृष्ट रंग तुलना	XX

कपड़े धोने/स्नान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गांव के कुछ ग्रीब इलाकों में कपड़े धोने और/या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्रोतों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराये जाने हैं ।

प्रधान
अधिकारी

आवादी
सम्पूर्णता
विषय

अभिनिर्धारित जल नाम

घोरों की संख्या



स्रोत स्थायित्व

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरडेल रिचार्ज संरचना है? (हों / नहीं)
25. गांव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका कार्याकल्प / मदमत छार्ट किया जाना आवश्यक है गंदले जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%) के एल.डी.

अलग—अगल सोखा गढ़ों वाले परिवारों की संख्या.....

उन परिवारों की संख्या जिन्हे सोखा गढ़ों की आवश्यकता है.....

आवश्यक सामुदायिक सोखा गढ़ों की संख्या.....

क्या अपविष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हों / नहीं)

यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है.....

यदि नहीं तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए?.....

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे

- अन्तिम छोर तक पहुंच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यूपी. को तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. को रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जलस्थिर वाटर/स्थानीय या घरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- वाटर ग्रिड क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
- मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित है।

28. अभिनिर्धारित जल स्रोत तकनीकी—आर्थिक और सामाजिक—आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना.....

इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि ग्राम समुदाय

वह तारीख जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी.....

योजना की लागत भारत सरकार का हिस्सा राज्य का हिस्सा ग्राम

समुदाय का हिस्सा 10% व्यक्तिगत घरेलू अंशदान.....

वार्षिक प्रबलन व रख-रखव शुल्क व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/प्रयोक्ता शुल्क.....

कोई दूरस्थ बसावट हो तो अभिनिर्धारित पी.डब्ल्यू.एस.....

- VI. मेल-जोल (निम्नलिखित तालिका में उन समावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/निधि मेल-जोल संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के — अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।

29.—

योजना का नाम	केन्द्र/राज्य करकार का विभाग	संभावित गतिविधियों जो शुरू की जा सकती है।	प्रस्तावित निधि
चौदाहरा वित्त आयोग	ग्राम पंचायत	ग्रे-वाटर मैनेजमेंट हेनेज सिस्टम आदि।	
स्वच्छ भारत योजना—ग्रामीण (एम.वी.एम.जी.०)	पैदल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय	ग्रे-वाटर मैनेजमेंट सोखा गढ़े (व्यक्तिगत/सामुदायिक अपविष्ट तलछट तालाब आदि)	
एन.जी.एन.आर.ई.जी.एस.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	प्राकृतिक संरक्षण प्रबलन (एन.आ.एम.) घटग वो तहत सभी जल संरक्षण गतिविधियां	2 लिंग प्रधान



योजना का नाम	कोन्सूलर/राज्य करकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निमि
एकीकृत बाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूमि संरक्षण विभाग	बाटरशेड प्रबन्धन /आर.डब्ल्यू.एम.पी. /कृतिम पुनर्मरण, जल निकासों का निर्माण /बुद्धि आदि।	—
जल भठारों की भर्त्तात नवीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भठारों का जीर्णोद्धार	—
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.पी.वाई.)	कृषि सहकारिता और किसान कल्याण	बाटरशेड से सम्बन्धित कार्य	—
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूख-सिंचाई का प्रावधान एवं कार्यकरण से जल की निकासी को कम करने के लिए	—
स्थितिपूरक नवीकरण कोष प्रबन्धन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और उद्यमिता मंत्रालय	नीकरणत्र वन पारिस्थितिकी तत्र का पुनर्जनन बौटरशेड विकास आदि	—
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एम. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण आदि।	—
समग्र शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान	—
आकाशी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निवियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	—
जिला खनिज विकास निधि (डी.एम.ए.फ.) एम.पी.एल.ए.डी.	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	—
एम.एम.ए.एल.ए.डी.	संस्थियकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	अतः ग्राम अवसंरचना	—
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अतः ग्राम अवसंरचना	—
दानदाता/प्रायोजक			—



प्रधान
प्रधान

लाल नायर - लालपुर तुमारी
पिंड - ग्राम - ३०८

का हस्ताक्षर

है। आरडब्ल्यू एस विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

आईएसए प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागे हो) _____

१५.८.१४ अनुसंधान

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अधीत वीडब्ल्यू एस.सी./पानी समिति, प्रयोक्ता समूह आदि का अध्यक्ष-

पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर-

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर-

पानी की गुणवत्ता की ढीकसी सुनिष्ठित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर-

१. श्रीता देवी ९६९०८००७१५
२. मंदू नीरू शाह → ९०२७८०६१०३
३. इमरहा — ९०५५३६९२७१
४. मुलीमी —
५. फिराल राजा → ७०८०३०१६३८

पम्प आपरेटर का नाम और फोन नंबर:

१ पम्प आपरेटर → ०१८२६१६ ३८९८
२ सेक्युरिटी

३ पम्प → लोसेप, लॉटोसेप

४ इलेक्ट्रोलैना → समन्वय, इलेक्ट्रोलैना ३८८६८

५ फिल्टर → अल्पुमी, नेंगामी

६ मोटर इलेक्ट्रोलैना → इलेक्ट्रोलैना

७ राज इलेक्ट्रोलैना → इलेक्ट्रोलैना, गोदान, राज

प्रधान
प्रधान

प्रधान प्रधान सम्मिलित समिति

०१८२६१६

